

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3- Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 475] नई दिल्ली, बुध्द्वतिवार, अक्टूबर 22, 1981/आश्विन 30, 1903
No. 475] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1981/ASVINA 30, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1981

का.आ. 761(अ).—केन्द्रीय सरकार, चाय नियम, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. अ-386 तारीख 25 मई, 1981 का निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में “चाय संपदाओं और बागानों के स्वामियों और चाय उगाने वालों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति” के नीचे क्रम सं. 4 के सामने की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात्

श्री कृष्ण कुमार कल्याणी, उपाध्यक्ष,
इंडियन टी प्लांटर्स एसोसिएशन, दिन बाजार
जलपाइगुरी ।

[फा. सं. ई-12014(1)/81-प्लांट(ए)।

ए. घोष, उप सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 1981

S.O. 761(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Tea Rules, 1954, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. E-385 dated the 27th May, 1981 namely :—

In the said notification under the heading ‘Persons representing owners of tea estates and garden and growers of tea’ for the entry against serial No. 4 the following entry shall be substituted, namely :—

Shri Krishna Kumar Kalyani, Vice-Chairman, Indian Tea Planters’ Association, Dinbazar, Jalpaiguri.

[File No. E-12014(1)/81-Plant (A)]

A. GHOSH, Dy. Secy.